झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

विषयः– नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (जुडको) के अधीन अभियंत्रण कोषांग अधिष्ठापन के संबंध में।

पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड के संकल्प–7556 दिनांक–03.11.2015 की कंडिका 5 के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पथ निर्माण विभाग एवं ग्रामीण कार्य विभाग के पृथक अभियंत्रण संवर्ग के गठन के साथ–साथ भवन निर्माण विभाग के लिए भी पृथक अभियंत्रण संवर्ग का गठन किया जायेगा।

645
23/01/17

यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य के अन्य विभागों में सृजित अभियंत्रण कोषांग एवं बोर्ड/निगमों/निकायों/सोसाईटी के अधीन असैनिक अभियंताओं के सृजित पद [परिशिष्ट I से X (नगर विकास विभाग)] भवन निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन होंगे तथा आवश्यकतानुसार भवन निर्माण विभाग उन पदों को चिन्हित अथवा समाप्त करेगा।

2. उपर्युक्त निर्णय के आलोक में भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या–1050 दिनांक–08.04.2016 के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग के सृजित अभियंत्रण कोषांग के पदों को भवन को भवन निर्माण विभाग में समाहित करने का निर्णय संसूचित किया गया है।

3. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या–1235 दिनांक–13.07.2015 के द्वारा भवन निर्माण विभाग के अतिरिक्त झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम का गठन किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य भवन निर्माण के कार्यो का सम्पूर्ण निष्पादन यथा, प्लानिंग, डिजाईनिंग, प्रोजेक्ट अनुमोदन इत्यादि निर्धारित किया गया है।

4. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के पत्रांक–33 दिनांक–25.04.2016 के द्वारा विभिन्न विभागों (नगर विकास विभाग सहित) के अन्तर्गत अभियंत्रण कोषांगों द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई एवं यह भी अनुरोध किया गया कि संबंधित विभागों की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन की अग्रतर कार्रवाई अब भवन निर्माण निगम के स्तर से की जायेगी।

5. उक्त के परिप्रेक्ष्य में उल्लेख करना है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा मात्र भवन निर्माण से संबंधित कार्य ही नहीं किए जाते हैं, बल्कि इस विभाग के द्वारा पथ निर्माण, शहरी सौन्दयीकरण से संबंधित लघु कार्य, पेयजल आपूर्ति के कार्य, पुल–पुलिया के निर्माण, लघु शौचालयों का निर्माण, नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत गंगा नदी के सफाई के कार्य, इत्यादि सम्पादित किए जाते हैं।

6. संविधान के 74वें संशोधन के पश्चात नगर विकास के कार्यो में अतिशय वृद्धि हुई है। विभाग के द्वारा नमामि गंगे परियोजना, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना के अन्तर्गत बहुआयामी कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं एवं उक्त योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने की कार्रवाई विभागीय अभियंत्रण कोषांग के द्वारा की जा रही है।

नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत गठित अभियंत्रण तकनीकी कोषांग का विलय भवन निर्माण विभाग/झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम के साथ किये जाने पर न केवल शहरी

K.K.Jha

विकास के योजनाओं के कार्यान्वयन का मार्ग अवरूद्ध होगा, बल्कि केन्द्र सरकार एवं वर्ल्ड बैंक से विकास योजनाओं के लिए राज्य सरकार को प्राप्त होनेवाली राशि के मार्ग अवरूद्ध होंगे।

साथ ही, यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत गठित अभियंत्रण कोषांग के द्वारा विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों एवं विभाग के अन्तर्गत गठित झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (जुडको) के द्वारा तैयार कराये गये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7. निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन के लिए स्थापित नियम है कि उक्त कार्यों का संपादन तभी किया जाय, जब प्रस्ताव तकनीकी रूप से ठोस हो। इसके लिए सक्षम प्राधिकार/स्तर के पदाधिकारी के द्वारा तकनीकी जाँच के पश्चात तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों एवं विभाग के कार्यों हेतु गठित झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (जुडको) में ऐसे प्रस्तावों की तकनीकी जाँच एवं तत्संबंधी तकनीकी स्वीकृति हेतु एक अभियंत्रण कोषांग के गठन की आवश्यकता है।

8. अतः सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिये जाते हैं :–

645
23/01/17

8.1 नगर विकास एवं आवास विभाग के नगरीय प्रशासन निदेशालय के अन्तर्गत गठित अभियंत्रण कोषांग को झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (जुडको) के अधीन स्थानान्तरित करते हुए अधिष्ठापित किया जाता है।

8.2 उक्त अभियंत्रण कोषांग, भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या–1050 (भ) दिनांक–08.04.2016, जिसके द्वारा अन्य विभागों में सृजित अभियंत्रण कोषांग, भवन निर्माण विभाग में दिनांक–01.04.2016 के प्रभाव से समाहित करने का निर्णय संसूचित है, को विशेष परिस्थिति में शिथिल करते हुए, इस संकल्प को निर्गत किये जाने की तिथि के प्रभाव से झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड के अधीन अधिष्ठापित माना जायेगा।

8.3 लोक निर्माण विभाग के प्रावधानित सुसंगत नियमों में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार झारखण्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (जुडको) के अधीन गठित अभियंत्रण कोषांग में पदस्थापित अभियंताओं द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों की तकनीकी जाँच एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति विधिवत् रहेगी।

8.4 अभियंत्रण कोषांग के द्वारा उपर्युक्त के अतिरिक्त, नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा समय–समय पर निर्देशित एवं सौपें गये अन्य कार्यों का ससमय निष्पादन किया जायेगा।

8.5 अभियंत्रण कोषांग की पद संरचना निम्न प्रकार होगी :–

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	मुख्य अभियंता (असैनिक)	01
2.	अधीक्षण अभियंता (असैनिक)	01
3.	कार्यपालक अभियंता (असैनिक)	02
4.	सहायक अभियंता (असैनिक)	04
5.	कनीय अभियंता (असैनिक)	08

8.6 अभियंत्रण कोषांग के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार अभियंताओं की सेवायें प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के द्वारा, उक्त पदों के लिए यथानिर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं के आलोक में संविदा के आधार पर ली जा सकेंगी।

8.7 अभियंत्रण कोषांग के पदाधिकारियों के वेतनादि का भुगतान सर्वश्री जुडको लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा।

आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (ले0 एवं हक), झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

21.1.17

(अरूण कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक —01/सा0स्था0—18/2016/न0वि0आ0..., 645 राँची, दिनांक—23/01/17

प्रतिलिपि :— अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को सूचना एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में सी0डी0 के साथ प्रकाशनार्थ प्रेषित।

21.1.17

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक —01/सा0स्था0—18/2016/न0वि0आ0..., 645 राँची, दिनांक—23/01/17

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ सभी नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी/सभी शहरी स्थानीय निकाय/महाप्रबंधक, जुडको/निदेशक, SUDA/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/नगर निवेशक, नगर निवेशन संगठन/सभी पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी, e Gazettee, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.1.17

सरकार के प्रधान सचिव।